झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

शुद्धि पत्र

विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0– 333(3) दिनांक– 02.12.2008 द्वारा राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गिरिडीह के महाविद्यालय भवन के निर्माण हेतु कुल राशि 4,50,21,260/–(चार करोड़ पचास लाख इक्कीस हजार दो सौ साठ) रूपये की योजना स्वीकृत की गई है एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0– 341(3) दिनांक– 05.12.2008 द्वारा राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गिरिडीह के अस्पताल भवन के निर्माण हेतु कुल राशि 4,61,43,000/–(चार करोड़ एकसठ लाख तेतालीस हजार) रूपये की योजना स्वीकृत की गई है।

दोनो स्वीकृत्यादेश में अवर सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया गया है। चूँकि बाद में कार्य झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा सम्पन्न किया गया है। इस कारण अंतिम विपत्र की शेष राशि कार्यपालक अभियंता, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को पुस्तांतरण द्वारा राशि उपलब्ध कराया जाना है।

अवर सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची का कोषागार – डोरण्डा कोषागार, राँची है एवं झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची का कोषागार -- राँची कोषागार है। दो अलग–अलग कोषागार होने के कारण राशि का पुस्तांतरण करने में कठिनाई है। फलस्वरूप राशि के पुस्तांतरण करने हेतु सिविल सर्जन, राँची, जिनका कोषागार– राँची कोषागार है, को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित करना आवश्यक है।

अतः उक्त दोनों स्वीकृत्यादेश में अवर सचिव स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को संशोधित करते हुए सिविल सर्जन, राँची को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है।

उपर्युक्त वर्णित दोनों स्वीकृत्यादेश की शेष सभी कंडिकाएँ यथावत् रहेगी।

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञाप सं0– 5/पी0–आयुष–16/2012 27(20) राँची, दिनांक– 20/03/2026

प्रतिलिपि– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञाप सं0– 5/पी0– आयुष–16/2012 27(20) राँची, दिनांक 20/03/2026

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक आयुष, आयुष निदेशालय, झारखण्ड, राँची/सिविल सर्जन, राँची/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गिरिडीह/प्रभारी जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव।